माननीय सभापति महोदय,

बिहार प्राचीन सभ्यता, धर्म, इतिहास और संस्कृति का अनूठा मेल है, जो भारत की पहचान है। बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म के पवित्र स्थान भी यहाँ हैं। इसके बावजूद एक दर्जन से अधिक ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिसे दुनिया भर के लोग जानते और पहचानते हैं। विलुप्त हो चुके राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में शिक्षा विभाग को इन स्थलों को चिन्हित करने का निर्देश दिया था। सर्वे के बाद शिक्षा विभाग के रिर्पोट के अनुसार राज्य में कुल 6,000 पर्यटन स्थल हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही से मात्र 110 पर्यटन स्थलों को ही संरक्षित किया गया है। बचे हुए 5,890 पर्यटन स्थलों को संरक्षित किये जाने से राजस्व के साथ-साथ रोजगार भी बढ़ेगा।

अत: मैं सरकार से राज्य में चिन्हित सभी पर्यटन स्थलों को विकसित कर संरक्षित किये जाने पर सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- कृष्ण कुमार सिंह
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-81/2018 - 515 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 07.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पर्यटन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-14.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 07.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। राजगीर में कुण्ड के आस-पास काफी जमीन खाली है, जिस पर गरीब बेसहारा लोग छोटी –छोटी दुकाने लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। विगत् 06 मार्च, 2017 को भयानक आग लग गई, जिससे सभी फुटपाथी दुकानदार बेरोजगार एव असहाय हो गए, इनका परिवार भूखों मरने को विवश हैं। इस वर्ष 10 फरवरी की रात्रि में उसी स्थल पर पुन: आग लग गई,तथा इनके सारे सामान जलकर नष्ट हो गए। बार-बार अगलगी की घटना से फुटपाथी विक्रेताओं में असंतोष है तथा आर्थिक संकट के दौर से पूरा परिवार जीवन गुजर–बसर करने को विवश हैं।

अत: उक्त वर्णित स्थिति में राजगीर कुण्ड के आस-पास खाली जमीन पर फुटपाथी विक्रेताओं को दुकान बनाकर स्थायी रूप से आवंटित करने हेतु सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ।

ह./- रीना देवी
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-82/2018 – 516 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 07.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-14.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 07.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम के वार्ड नं.-05 के समनपुरा (राजा बाजार) पारस हॉस्पीटल से लेकर संगम अपार्टमेंट के मध्य का रास्ता वाटर सप्लाई का पाईप कटा-फटा रहने के कारण सभी मौसम में पानी से भरा रहता है जिसके कारण उक्त सड़क अत्यंत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। मरीजो वृद्धों तथा वाहनों को आने-जाने में अत्यंत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं सरकार से सड़क के निर्माण किए जाने एवं वाटर सप्लाई के कटे-फटे पाईपों को अविलम्ब बदलने के संबंध में सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- गुलाम रसूल
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र- 83/2018 – 518 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 07.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-14.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 07.3.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड के पीरो नगर वार्ड 14 के सी.आ.पी.एफ. की 49 वी वाटलियन के जवान मो. मोजाहिद खान फरवरी माह 2018 को श्रीनगर के करन नगर में आतंवादियों से लोहा लेने के दौरान शहीद हो गये थे। उरी हमले में पीरो प्रखंड के शहीद अशोक कुमार सिंह के परिजनों को 11 लाख रूपये दिये गये थे लेकिन इनके परिजनों को राज्य सरकार द्वारा मात्र 5 लाख रूपये ही दिये जा रहे हैं। मो. मोजाहिद खान के नाम से इनके गॉव के विद्यालय का नाम रखा जाये और इनकी आदमकद मूर्ति पीरो में लगायी जाये। इनके परिजनों को उचित सहायता राशि दिया जाये।

अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- राधा चरण साह
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-84/2018 – 519 / वि.प.। पटना, दिनांक- 07.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार/ गृह विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-14.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

07.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

प्राकृतिक आपदा से मरने वाले मृतकों के आश्रितों को सरकार द्वारा चार लाख रूपया सहयोग राशि अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है। परन्तु जिला आपदा प्रबंधन विभाग में आवंटन के अभाव के कारण मृतक के आश्रितों को अनुदान राशि समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है जिसके चलते इस योजना का लाभ प्रभावित परिवारो को नहीं मिल पा रहा है। यदि सरकार संबंधित योजना का लाभ प्राकृतिक आपदा में मरने वाले मृतकों के आश्रितों को देना चाहती है तो जिला आपदा प्रबंधन विभाग में अधियाचना के आलोक में पर्याप्त आवंटन अभिलम्ब उपलब्ध कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- अशोक कुमार अग्रवाल
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-85/2018 – 520 / वि.प.। पटना, दिनांक- 07.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/ समाज कल्याण विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-14.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 07.3.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्